


0101

YL 0006708146

GOVERNMENT OF BIHAR e-Court Fee

DATE & TIME : 16-SEP-2022 10:16:49
 NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER : SAHAJ RETAIL LIMITED
 LOCATION : CIVIL COURT MUZAFFARPUR
 e-COURT RECEIPT NO : BRCT164212203K241
 e-COURT FEE AMOUNT : ₹ 90
 (Rupees Ninety Only)



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified with details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & fixing by the Court Officer.



प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र

मैं, अनुपमा कुमारी प्रिता/पति सुजय कुमार

उम्र 43 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत सुजयपुर के वार्ड संख्या 07

मोहल्ला अमरपुरी, पोस्ट अहमदनगर, थाना सबल, जिला सुजयपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत सुजयपुर के वार्ड संख्या 07 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत सुजयपुर के वार्ड 07 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

अनुपमा कुमारी
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - Smitu

नाम- Smitu Kumar

पता- Asanad puri, ward no-2
D.B. Gay'pur

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर विजय शर्मा

नाम- विजय शर्मा

पता- आकाशपुरी, बी.बी. गंग, सुजयपुर

Vijay Kumar
Advocate
19/9/22

स्थान : सुजयपुर

दिनांक : 19/09/2022

The Deponent Identified
Advocate has Solemnly declared
before me
लगातार 19/9/22
Raj Kumar Rai
ADVOCATE

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर
के वार्ड संख्या 07 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- अनुपमा कुमारी
प्रिता/पति का नाम- रमण कुमार

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं- शुभ

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

- (i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये-
- (ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या-
- (iii) किये गये अपराध की प्रकृति-
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)
- (iv) दिया गया दण्ड-
- (v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो-
- (vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि-

शुभ

शुभ

शुभ

शुभ

शुभ

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं?

- (i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण-
- (ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया-
- (iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है-
- (iv) यदि निष्पादित है, तो

शुभ

शुभ

शुभ

(क) निष्पादन की तिथि-

शुभ

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण-

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया-

शुभ

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि-

शुभ

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें-

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों-

शुभ

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या-

शुभ

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर कैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:-

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- १५/०२
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- १५/०२
- (iii) अपराध संख्या- १५/०२
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- १५/०२
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- १५/०२

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें-

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- १५/०२
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- १५/०२
- (iii) अपराध संख्या- १५/०२
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- १५/०२
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- १५/०२

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण-

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- २५०२

(ii) शहरी भूमि- १० चक्र भवन - २०,००००

(iii) भवन- १ २ ५०००००

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 20,000.00

(ii) बैंक बैलेन्स- 2000.00
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट शुभ
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- शुभ
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन शुभ
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण 'सोना' 2.50g
(पूर्ण विवरण दें)

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

शुभ

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

शुभ

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज
के नाम के साथ अंकित करें-

मैट्रिक / 1993
इन्टर / 1995

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर
तिथि- 21/09/2022

अनुपमा कुमारी
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैल्य टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/विक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।
स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।